



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 487 राँची, शुक्रवार,

18 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 जून, 2023

संख्या-3/नि०सं०-09-05/2015 का. 3600--श्री राम कुमार मण्डल, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 637/03) के द्वारा उनसे कनीय पदाधिकारी को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि तथा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में दी गई प्रोन्नति के समतुल्य वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने हेतु दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में विवरणी निम्नवत है :-

(i) विभागीय संकल्प सं० 947, दिनांक 02.02.2012 के द्वारा श्री मण्डल पर निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया था-

(क) तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।

(ख) प्रोन्नति की देय तिथि से अगले 03 वर्षों तक प्रोन्नति बाधित ।

(ग) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

(ii) उक्त दण्ड की अवधि समाप्त होने पर इनके प्रोन्नति हेतु दिनांक 24.04.2015 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति में विचार किया गया परन्तु तत्समय एक अन्य मामले में विभागीय संकल्प सं० 643 दिनांक 27.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित थी ।

विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 के प्रावधान के अनुसार श्री मण्डल की अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोर्ट में प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित अनुशंसा की गई थी :-

“आपराधिक वाद एवं विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में”

(iii) विभागीय संकल्प संख्या 1179(HRMS) दिनांक 31.07.2018 के द्वारा श्री मण्डल को उक्त विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किया गया है ।

(iv) उल्लेखनीय है कि श्री मण्डल के विरुद्ध आपराधिक केस नं० RC4A-2010 में अभियोजन स्वीकृति दी गई थी, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cr.M.P संख्या 2773/2012 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 05.12.2014 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आपराधिक वाद को निरस्त कर दिया गया ।

(v) उक्त न्यायादेश के विरुद्ध CBI के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP(CRL) 9407/2015 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 01.09.2017 को पारित न्यायादेश में CBI द्वारा दायर अपील को Dismissed कर दिया गया ।

(vi) श्री मण्डल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक वाद के निरस्त किये जाने तथा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 24.04.2015 को सम्पन्न बैठक द्वारा अनुशंसित मुहरबंद लिफाफे को दिनांक 28.07.2020 को खोला गया। मुहरबंद लिफाफे में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा श्री मण्डल के संबंध में “योग्य” की अनुशंसा की गई है ।

(vii) उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 700 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा श्री मंडल को दिनांक 13.06.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोर्ट में प्रोन्नति प्रदान की गई ।

(viii) विभागीय संकल्प संख्या 947 दिनांक 02.02.2012 के विरुद्ध श्री मंडल के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No. 3818/2016 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 23.11.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री मंडल को दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 947 दिनांक 02.02.2012 को निरस्त करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 3114 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

(x) विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर श्री राम कुमार मंडल को विभागीय संकल्प संख्या 7623 दिनांक 05.12.2022 द्वारा आरोप मुक्त किया गया है एवं सम्प्रति श्री मण्डल दिनांक 28.02.2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

2. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 के प्रावधान के आलोक में श्री राम कुमार मण्डल, से०नि० झा०प्र०से० (कोर्ट क्रमांक- 637/03) को उनसे कनीय श्री दिलीप कुमार, झा०प्र०से० (कोर्ट क्रमांक 638/03) को विभिन्न कोर्टों में प्रदत्त प्रोन्नतियों के भूतलक्षी प्रभाव से स्तम्भ- v में अंकित तिथि से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	कोटि	अनारक्षित कोटि में श्री राम कुमार मण्डल, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 637/03) से कनीय श्री दिलीप कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 638/03) को प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि	वेतनमान	तिथि
i	ii	iii	iv	v
1	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	अधिसूचना संख्या 5583 दिनांक 24.06.2013 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III 15,600-39,100- ग्रेड-पे 7600/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-12	24.06.2013
2	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि	अधिसूचना जापांक 5647 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37,400- 67,000-ग्रेड-पे 8700/पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13	27.07.2018

3. श्री राम कुमार मण्डल, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 637/03) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या 700 दिनांक 01.02.2021 इस हद तक संशोधित समझी जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।
